

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

(आयकर)

का.आ. 1362(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा निदेश देता है कि आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन), प्रधान महानिदेशक आयकर (सिस्टम) से अधीनस्थ होंगे।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 21/2019/फा. सं. 187/2/2019-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

(INCOME-TAX)

S.O. 1362(E).—In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (e-Verification) shall be subordinate to the Principal Director General of Income-tax (Systems).

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[Notification No. 21/2019/F. No.187/2/2019-ITA-I]

RAJARAJESWARI R, Under Secy.